(285)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,इलाहाबाद

(कार्यादेश)

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

मेसर्स शीतला कान्सट्रक्शन
5बी/03 काल्विन रोड सिविल लाइन्स,
इलाहाबाद।

पत्रांकः–29/अ0अ0/वि0प्रा0/2011

दिनांकः–16 सितम्बर,2011

विषयः–मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के अन्तर्गत झूँसी में 272 भवनों का निर्माण कार्य।

महोदय,

उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में आप द्वारा उपरोक्त संदर्भित स्थान पर 288 भवनों हेतु निविदा डाली गयी थी। ये निविदा धनराशि रू0 7,46,81,510.23 की स्वीकृति आपके पक्ष में सर्व निम्न होने के कारण जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 14–9–2011 को प्रदान कर दी गयी है। परन्तु निविदा मांगे जाने के पश्चात् शासन द्वारा इन भवनों का लक्ष्य कम कर दिया गया एवं हडको में झूँसी कार्य स्थल में 272 भवनों के वित्त पोषण हेतु योजना प्रस्तुत की जा चुकी है। तत्क्रम में आपकी स्वीकृत निविदा धनराशि रू0 7,12,44,655.12 समझी जायेगी (विवरण संलग्न है)। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निविदा धनांक का 05 प्रतिशत् जमानत धनराशि धनांक रू0 35,62,240.00 N.S.C./F.D.R/C.D.R./Cash, के रूप में जमा करा दें। अवशेष जमानत धनराशि आपके बिल से 05 प्रतिशत् की दर से काटी जायेगी। शासनादेश संख्या–102286–355/स्टाम्प/73 एवं दिनाक 12–06–2006 आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0 इलाहाबाद के अनुसार रू0 110.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करायें।

यदि पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर आप द्वारा वांछित जमानत धनराशि N.S.C./F.D.R/C.D.R./Cash, के रूप में जमा कराते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित नहीं कराई जाती है तो आपकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी तथा धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा साथ ही भवन एवं सन्निर्माण अधिनियम 1996 सपठित उ0प्र0 नियमावली,2009 के अनुसार रू0 10.00 लाख से अधिक के कार्य पर श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा,अन्यथा कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा। निम्न उपबन्धो का भी अनुपालन किया जाय।

1. ठेकेदार को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तत्सम्बन्धी प्रदेश नियमावली 2009 में विहित प्राविधानों का अनुपालन करना होगा। परन्तु सेस का भुगतान यदि आरोपित हुआ वह निविदा की शर्त के अनुसार प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
2. ठेकेदार को राज्य कर्मकार बीमा एक्ट 1948 के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
3. ठेकेदार को भारत सरकार द्वारा आरोपित सेवाकर अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा। जिसकी प्रतिपूर्ति निविदा मे ठेकेदार द्वारा दी गयी शर्त के अनुसार प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।
4. ठेकेदार को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1952 प्राविडेन्ट एक्ट 1925 तथा वेतन आदि का भुगतान करना होगा।
5. शेष कटौतियां उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप की जायेगी।
6. भवनों का डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड कम्पीलिशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष तक होगा।
7. अनुबन्ध किये जाने की तिथि के पश्चात् कार्य प्रारम्भ की तिथि दी जायेगी।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(संजीव कुमार सिन्हा)
अधिशाषी अभियन्ता

प्रतिलिपि–

1. वित्त नियंत्रक महोदय को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16/9

अधिशाषी अभियन्ता

(पवन राय)
सहायक अभियन्ता

(संजीव कुमार सिन्हा)
अधिशाषी अभियन्ता
इला0 विकास प्राधिकरण